भाजपा के आधार स्तम्भ, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत एवं हमारे पथप्रदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

—— स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री

विश्वविद्यालय में ऐसा शोध कराया जाए जो समाज के उपयोग में हो।

—— धर्मेंद्र प्रधान, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री

संक्षिप्त खबरें

विस अध्यक्ष ने ट्रैफिक के प्रति किया जागरूक

नई दिल्ली । विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान के अंतर्गत सोमवार को मंडोली रेड लाइट, नंद नगरी पर लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा की दिल्ली सरकार पूरी मेहनत और सख्ती से दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्दियों के समय दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान-2021 भी लागू कर दिया है जिसके अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाली कई गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान में लोगों से भरपूर सहयोग मिला है । प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में दिल्ली के युवा भी बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे है। ऑनलाइन चैट वाट से दिल्ली के हज़ारों युवा प्रदूषण से होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक कर रहे है। उन्होंने दिल्ली के लोगो से अपील की कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में सक्रियता के साथ सहयोग करें।

अदालतों में वकील आज नहीं करेंगे काम

नई दिल्ली । वकीलों ने एक महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट करने के पुराने मामले में अपने नेता राजीव खोसला को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ 9 नवंबर को सभी जिला अदालतों में काम नहीं करने का फैसला किया है। वकीलों ने खोसला को दोषी ठहराए जाने को भेदभाव परक बताया है। यह निर्णय वकीलों की कोआर्डिनेशन कमेटी ने किया है।कमेटी ने कहा है कि वह इस मुद्दे को लेकर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल से बात करेंगे और वहां मामले का निपटारा नहीं हुआ तो वे संबंधित जज की अदालत का बहिष्कार करेंगे।

हर किसी को रेहड़ी-पटरी लगाने की नहीं दी जा सकती अनुमति : हाईकोर्ट

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

हाईकोर्ट ने रेहरी-पटरी कानून पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हर किसी को दिल्ली में आकर रेहड़ी-पटरी लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इससे पूरे शहर में जंगल राज हो जाएगा। उसने इस बात पर जोर दिया कि पथ विक्रेता अधिनियम का उचित क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है जिससे बिक्री की एक संगठित गतिविधि हो सके।

कोर्ट ने इसके साथ ही सभी नगर निगमों सहित स्थानीय अधिकारियों को पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ बिक्री का नियमन) अधिनियम के तहत वैधानिक पथ बिक्री योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने सभी से इस बाबत उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहते हुए सुनवाई 18 नवम्बर के लिए स्थगित कर दी।

पथ विक्रेता अधिनियम का उचित क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है : हाईकोर्ट

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की याचिका पर कोर्ट का निर्देश

पीठ ने कहा कि हम शहर को सभी के लिए इस मकसद से खुला छोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते कि यहां कोई भी आकर बैठ जाए और फेरी लगाना शुरू कर दे। ऐसा होने पर पूरा शहर एक जंगल राज की ओर चला जाएगा। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए निकाय कृपया हमारे आदेशों को लागू करें। कोर्ट ने यह निर्देश नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि नो हांकिंग व नो वेंडिंग जोन में अवैध पथ बिक्री गतिविधियां न हो। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव रल्ली ने कोर्ट से आग्रह किया कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि कनाट प्लेस क्षेत्र अवैध फेरीवालों व विक्रेताओं से मुक्त रहे। ताकि यहां आने-जाने वालों को हो रही असुविधा से राहत मिल सके।

2016 में की गई नोटबंदी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करते यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता। फोटो : लेखराज

अदालतों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने पक्षकारों से मांगी सलाह

नई दिल्ली (एसएनबी)। अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित पक्षों की तरफ से दिए सुझाव के आधार पर हाईकोर्ट ने एक संक्षिप्त नोट तैयार किया है और उसे सभी पक्ष को देते हुए अपनी राय देने को कहा है। साथ ही उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होनेवाले खर्च का वहन दिल्ली सरकार को देने की भी बात है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह उनकी सलाह है, आदेश या फैसला नहीं। पीठ ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से कहा है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक विशेष टीम गठित करना चाहिए जो अदालत परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की निर्धारित समय पर समीक्षा करे। इस टीम की सलाह पर सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य आधुनिक तकनीकी उपकरणों को लगाया जाए और वहां उचित संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया जाए। खतरनाक कैदियों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने की व्यवस्था की जाए। अदालत परिसरों में आधुनिक उपकरणों को लगाने का खर्च दिल्ली सरकार उठाए।पीठ ने यह भी कहा है कि सभी अदालतों के प्रवेश एवं निकास द्वारों पर स्वचालित गेटों की व्यवस्था की जाए। अदालत में प्रवेश करनेवाले वकीलों के लिए दिल्ली बार काउंसिल वकीलों को डिजिटल प्रवेश पहचान पत्र जारी करे। साथ ही बिना जांच के बैग आदि की ले जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वाहनों के प्रवेश के लिए विशेष प्रकार के स्टीकर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभी पक्षकारों के सुझावों के आधार पर हाईकोर्ट ने संक्षिप्त नोट तैयार किया है जिसपर सब की राय मांगी

नोटबंदी की पांचवीं बरसी पर रिजर्व बैंक के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

नई दिल्ली (एसएनबी)। भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को नोटबंदी की पांचवीं बरसी पर रिजर्व बैंक के बाहर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने कहा कि पांच साल पहले प्रधानमंत्री द्वारा थोपी गई नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम किया है। नोटबंदी से आतंकवाद के खात्मे का दावा जुमला निकला। देशवासियों को नोटबंदी ने मंदी में धकेल दिया। श्रीनिवास बी वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी के मूर्खतापूर्ण फैसले को जायज ठहराने के लिए नकली नोट खत्म होने का दावा करते हैं। जबकि हकीकत कुछ और है, नोटबंदी से नकली नोटों की संख्या में वृद्धि हुई है। नोटबंदी से न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न अर्थव्यवस्था कैशलेस हुई, न आतंकवाद पर चोट लगी। प्रधानमंत्री द्वारा थोपी गई नोटबंदी अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है।

युलू बाइक को नियंत्रित करने पर विचार करे सरकार : हाईकोर्ट

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

मेट्रो स्टेशनों के बाहर मिलने वाली युलू बाइक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने एवं उसके लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली पुलिस व दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से कहा कि वे इस याचिका को बतौर प्रतिवेदन लें और उसपर कानून, नीति व व्यावहारिकता के साथ जल्द फैसला करें। पीठ ने इसके साथ इससे संबंधित याचिका निपटा दी।युलू बाइक को नियंत्रित करने की मांग करते हुए डीपीएस राजेश ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि नियम नहीं होने से इन बाइकों का दुरुपयोग किया जाता है। इसको चलाने वाले यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। पुलिस के पास उन्हें रोकने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बाइक छोटी बैटरी से चलने वाली स्कूटी है जो कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर खड़ी रहती हैं। उसे एक मोबाइल ऐप के जरिए किराए पर लिया जाता है।

नियम नहीं होने से इन बाइकों का दुरुपयोग किया जाता, चलाने वाले यातायात नियमों का करते हैं उल्लंघन : याचिकाकर्ता

इसके लिए प्रभावी दिशा-निर्देशों की जरूरत है जिससे नाबालिगों व आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने इसके लिए इस बाइक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाने की वकालत की है। साथ ही दिशा-निर्देश आने तक उसके चलाने पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

‘जानवरों का बंध्याकरण न करने पर विचार करे सरकार’

नई दिल्ली (एसएनबी)। जानवरों के बंध्याकरण पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने उसे अप्राकृतिक कहा है। साथ ही उसको लेकर नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पशुपालन मंत्रालय से कहा कि वह इस मामले को बतौर प्रतिवेदन ले और उस से संबंधित नीति, कानून व दिशा-निर्देशों के तहत जल्द फैसला करे। पीठ ने इसके साथ ही इससे संबंधित याचिका निपटा दी।जानवरों के बंध्याकरण पर रोक लगाने की मांग करते हुए संगीता डोंगरा ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया है कि बंध्याकरण के बाद नर व मादा जानवर बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जानवरों का बंध्याकरण अप्रशिक्षित आठवीं व 10 वीं पास लोग कर रहे हैं। यह पूरी तरह गैरकानूनी है और इसके जानवरों का अधिकार हनन होता है।

पूछताछ के दौरान कानून पुलिस को पीटने की इजाजत नहीं देता : हाईकोर्ट

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत या पूछताछ के दौरान कानून मारने-पीटने की अनुमति नहीं देता। किसी भी आपराध के लिए सजा देने का काम अदालत का है।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन या कानून-प्रवर्तकों द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही या हद से ज्यादा प्रतिक्रिया के बारे में कोई भी हर वक्त सतर्क नहीं रह सकता है। किसी को भी जॉर्ज पेरी फ्लॉयड जूनियर के मैं सांस नहीं ले पा रहा जैसे दुखद शब्दों को कहने की नौबत नहीं आना चाहिए। न्यायमूर्ति ने उक्त टिप्पणी दो लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में कथित रूप से हिरासत में लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की जांच नए सिरे से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाने की मांग की है। न्यायमूर्ति ने इसके बाद पुलिस उपायुक्त (सतर्कता) को जांच करने और याचिका को बतौर प्रतिवेदन लेकर उचित कदम उठाने का निर्देश दिया और मामले को निपटा दिया। मालूम हो कि अफ्रीकी मूल के अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर पिछले साल अमेरिका में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जब एक वीडियो में एक पुलिस अधिकारी उसे नीचे धकेलते हुए और फ्लॉयड की गर्दन पर अपने घुटने से दबाते हुए दिख रहा था।

दो लोगों ने अदालत में याचिका दायर कर पुलिस पर हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटने का लगाया है आरोप

इस दौरान फ्लॉयड को यह कहते हुए सुना गया कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। घटना की तस्वीरों को देखने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि याचिकाकर्ताओं पर पुलिस का हमला आपत्तिजनक है।

आधे सच पर मामला नहीं बना सकती पुलिस : खालिद

नई दिल्ली (भाषा)। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने सोमवार को यहां की एक अदालत में कहा कि दिल्ली दंगा साजिश मामले में गवाहों के बयान किसी और ने लिखकर दिए क्योंकि पुलिस के पास किसी तरह का साक्ष्य नहीं है। खालिद ने कहा कि उनके खिलाफ आधे सच के आधार पर मामला नहीं बनाया जा सकता।खालिद और कई अन्य लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधी सख्त कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का ‘मुख्य साजिशकर्ता’ होने का आरोप है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष खालिद की जमानत याचिका पर दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पायस ने सुरक्षा प्राप्त तीन गवाहों के बयान पढे और दावा किया कि वे गढे हुए हैं और उनमें विरोधाभास है।खालिद की ओर से दलील देते हुए पायस ने कहा कि आप आधे सच के आधार पर मेरे (खालिद) खिलाफ मामला नहीं बना सकते।

6 अप्रैल तक पन्ना प्रमुख बनाने का लक्ष्य : आदेश गुप्ता

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य इकाइयों को आगामी 6 अप्रैल तक पन्ना प्रमुख बनाने का लक्ष्य दिया गया है। उससे पहले बूथ स्तर की समिति बनाने का काम 25 दिसम्बर तक पूरा करने को कहा गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली इकाई इस लक्ष्य को पूरा कर लेगी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राज्य इकाईयों को दिया गया है लक्ष्य

कार्यकारिणी के फैसलों की जानकारी देते हुए गुप्ता ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सभी राज्य इकाइयों को हर बूथ पर ‘मन की बात’ क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के साथ सुनने के इंतजाम करने को भी कहा है जिसके लिए प्रदेश भाजपा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी पांच राज्यों में होने वाले चुनावों पर विस्तार से चर्चा हुई और ‘हर घर दस्तक’ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा के 10 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स इसमें सहयोग करेंगे।

उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी का समापन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के साथ हुआ जिसमें प्रधानमंत्री ने जन-जन के मन के विश्वास का सेतु बनने का आह्वान किया और आम जनता के साथ आत्मीयता से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले काफी समय से राजनीतिक पर्यटन पर हैं और उन्हें दिल्ली की जनता की जरा भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व की आज शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मैली यमुना को ठीक करने और छठ के लिए घाटों की साफ-सफाई करने के बजाय वे इ स ा स ा बचने में लगे हुए हैं।

उत्तर रेलवे

ई–निविदा (ई–प्रोक्यूरमेंट) के माध्यम से निविदा आमंत्रण

[illegible]

1	कार्य का नाम	[illegible]
2	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये)	Rs. [illegible]
3	बयाना राशि (रुपये)	Rs. 0/-
4	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये)	Rs. 0.00
4	निविदा बंद होने और निविदा खोलने की तिथि और समय	30.11.2021 को 1500 घंटे।
5	वेबसाइट विवरण तथा निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है	निविदा www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध।

[illegible] (IREPS) वाइट यानी www.ireps.gov.in के [illegible]

[illegible]

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

शहर को कूड़ामुक्त बनाने पर मंथन

नई दिल्ली (एसएनबी)। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सोमवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर स्रोत पर ही कूड़े के निस्तारण द्वारा शहरों को कचरा मुक्त करने पर एक संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कचरा मुक्त शहर के स्टार रेटिंग के सभी आयामों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम में आईक्यूवीआईए द्वारा स्त्रोत पर कचरे के निस्तारण से कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य की प्राप्ति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक विनय कुमार झा एवं दक्षिणी निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती एवं कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों का दक्षिणी निगम के स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी अवनीश कुमार ने स्वागत किया एवं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की महत्ता एवं रूपरेखा से अवगत करवाया। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त रमेश वर्मा,मुख्य अभियंता पीसी मीणा, सभी क्षेत्रीय उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग के अधिकारीगण, स्वच्छता अधीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक एवं अन्य निगम कर्मचारी उपस्थित रहे।स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक विनय कुमार झा ने नागरिकों के कल्याण के लिए निगम सेवाओं में सुधार एवं ईमानदार प्रयासों में निरंतरता पर बल दिया। उन्होंने शत प्रतिशत कूड़े के स्त्रोत पर निस्तारण पर बल दिया तथा कहा कि इसके द्वारा ही हम एक सुदृढ़ कचरे प्रबंधन के परिस्थितिकी तंत्र की स्थापना कर सकते हैं। उन्होंने नवाचार की महत्ता पर प्रकाश डाला।

एलएसआर की छात्रा के लिए न्याय की मांग में प्रदर्शन

नई दिल्ली (एसएनबी)। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के बैनर तले छात्रों ने सोमवार को लेडी श्रीराम कॉलेज के सामने दिवंगत छात्रा ऐश्वर्या की याद में प्रदर्शन कर मोमबत्ती जलाई। कई अन्य कॉलेजों के छात्र भी प्रदर्शन में शामिल हुए। एलएसआर के छात्रों के साथ, एसएफआई के राज्य सचिव प्रीतीश मेनन, एलएसआरएसयू के पूर्व महासचिव उन्नीमाया, एलिजाबेथ, एयूडी छात्र संघ में सीसीसी सदस्य उमेश, जेएनयूएसयू के पूर्व पार्षद और जामिया की अरोज़मा ने सभा को संबोधित किया। छात्रों ने कहा कि एलएसआर की छात्रा ऐश्वर्या की संस्थागत हत्या को एक साल हो गया है।

उ. प्र. पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

ईनिविदा समयवृद्धि सूचना:- इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित ईनिविदा संख्या-10/21-22, ई- निविदा संख्या-11/21-22 एवं ई- निविदा संख्या-12/21-22 जो कि दिनांक 09.11.2021 को खोली जानी थी। अपरिहार्य कारण वश ई- निविदा खुलने की तिथि अब दिनांक 23.11.2021 तक विस्तारित की जाती है। शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेंगे। अधिशासी अभियंता विद्युत पारेषण खण्ड , उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.,132 के.वी. उपकेन्द्र, भूड़, बुलन्दशहर। “राष्ट्र हित में बिजली बचायें साधारण बल्व की जगह एलईडी बल्व का उपयोग करें”। पत्रांक संख्या:1583/ वि.पा.ख./बु.शहर/नोटिस/ दिनांकः 08.11. 2021.

अवैध रेहड़ी-पटरी वालों को हटाया

नई दिल्ली (एसएनबी)। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सोमवार को अभियान चलाकर सरोजनी नगर मार्केट से अनधिकृत रेहड़ी-पटरी को हटाया। एनडीएमसी के इस अभियान की स्थानीय दुकानदारों ने सराहना की है। दरअसल सरोजनी नगर मार्केट में लगी अनधिकृत रेहड़ी-पटरी के विरुद्ध मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी न्यायालय गये थे। एनडीएमसी का यह अभियान दो दिन तक चला। सरोजनी नगर मार्केट के नियमित दुकानदारों का आरोप है कि मार्केट में 800 से अधिक अनधिकृत रेहड़ी-पटरी लगती है। इससे आसपास के लोगों को निकलना भी दूभर हो गया है। शाम को तो और बुराहाल हो जाता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा कि अनधिकृत रेहड़ी-पटरी के हटने से लोगों को राहत मिली है। उनका एनडीएमसी के अधिकारियों से कहना है कि इस तरह का अभियान लगातार चलना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि न्यायालय के आदेश के अलावा भी एनडीएमसी को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया है कि क्या 9 नवंबर को न्यायालय में सुनवाई के बाद भी इस अनधिकृत रेहड़ी-पटरी को नहीं लगने दिया जाएगा।

एनडीएमसी को आगे भी कार्रवाई जारी रखने का सुझाव

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी दानपुर (बुलन्दशहर)

पत्रांक : 691/आंशिक / क्षे.पं.निधि / 21-22 दिनांक : 08.11.2021

संशोधन निविदा आमंत्रण सूचना

अपरिहार्य कारणों से क्षेत्र पंचायत दानपुर की दिनांक : 10.11.2021 को खुलने वाली निविदा, दिनांक : 10.11.2021 के स्थान पर दिनांक : 15.11.2021 को दोपहर 3.00 बजे गठित समिति एवं ठेकेदार तथा ठेकेदार प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएंगी। तथा निविदा बिक्री दिनांक : 15.11.2021 को कार्यालय से दोपहर 2.00 बजे तक की जाएंगी। कृ. उक्त सूचना को संशोधन समक्षा जाए। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

खण्ड विकास अधिकारी
दानपुर (बुलन्दशहर)

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001,
बोर्ड नंबर : +91–11–23736857, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : भू तल, डी 2, सेक्टर 3, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित नियम 8(2) तथा परिशिष्ट–4 के अनुसार

ऋण खाता सं. : डब्ल्यूएफएच/सीसीएफ/0317/359300 एवं डब्ल्यूएफएन/सीसीएफ/0317/358936

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 22 फरवरी, 2020 जारी की थी, जिसमें आप कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर – मैसर्स ऐरीना सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फेस्ट होम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स विला स्टोन प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स क्रूज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स रेवरेंट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री निर्मल सिंह, श्री हरकरन सिंह उप्पल तथा श्री पुनीत कुमार सिन्हा से उक्त मांग सूचना में वर्णितानुसार 17 फरवरी, 2020 तक बकाया राशि रूपए 184,38,99,494.60 (रूपए एक सौ चौरासी करोड़ अड़तीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ चौरानवे तथा पैसे साठ मात्र) तथा उपरोक्त राशि पर उसके बाद भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उद्भूत और उपगत संविदात्मक दरों पर ब्याज, अनुषंगी खर्चों, लागतों, प्रभारों, इत्यादि उक्त मांग सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

चूंकि इसमें वर्णित कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना दिनांकित 22 फरवरी, 2020 में वर्णित बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का रचनात्मक कब्जा **03 नवम्बर, 2021** को प्राप्त कर लिया है। एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटरों को तथा जनसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार उक्त बकाया राशि एवं उस पर ब्याज हेतु **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की 03 नवम्बर, 2021 तक बकाया राशि रूपए 238,16,30,086.71 (रूपए दो सौ अड़तीस करोड़ सोलह लाख तीस हजार छियासी तथा पैसे इकहत्तर मात्र)** तथा उपरोक्त राशि पर उसके बाद भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उद्भूत संविदात्मक दरों पर ब्याज और उपगत अनुषंगी खर्चों, लागतों, प्रभारों, इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/प्रतिभूति प्रदाताओं का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सेक्टर–150, नोएडा में अवस्थित भूमि परिमाप 20,863 वर्ग मीटर (5.15 एकड़) जिसका प्लाट नंबर एससी–02/एन है।

स्थान : नोएडा
दिनांकित : 03–11–2021

श्री आशीष के. सिंह
प्राधिकृत अधिकारी,
वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड